

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
योजना का नाम	योजना का संक्षिप्त परिचय	योजना प्रारम्भ किय जाने का वर्ष	लाभान् वित्त वर्ग	योजना की पात्रता	योजना में देय सुविधाएं	योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय	योजना में आवेदन प्रस्तुत करने के कार्यालय का नाम व पता	योजना में आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	योजना का लाभ लेने के लिए सम्पर्क सूत्र	भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि का अनुपात
मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना	आम जन इस योजना के अर्न्तगत निशुल्क दवाएं प्राप्त कर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं।	02.10.2011	आम जन	आम जन	निःशुल्क दवाएं	चिकित्सालय ओपीडी में रजिस्ट्रेशन काउन्टर पर मात्र 10/- रूपयों की रजिस्ट्रेशन पर्ची	ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउन्टर	-	ओपीडी	-
मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना	आम जन इस योजना के अर्न्तगत निशुल्क जांच/उपचार प्राप्त कर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान में 71 जांचें निशुल्क की जा रही है।	07.04.2013	आम जन	आम जन	निःशुल्क जांच	आज जन हेतु ओपीडी में रजिस्ट्रेशन काउन्टर पर मात्र 10/- रूपयों की रजिस्ट्रेशन पर्ची / सीनियर सीटिजन हेतु निशुल्क रजिस्ट्रेशन	ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउन्टर	-	ओपीडी	-
भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना	इस योजना अन्तर्गत राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में आने वाले प्रत्येक परिवार में सामान्य बीमारियों हेतु 30,000/- एवं गंभीर बीमारियों हेतु 3 लाख तक की केशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है।	13.12.2015	भामाशाह कार्ड धारक/ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत आने वाले आम जन	भामाशाह कार्ड धारक/ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत आने वाले आम जन	सामान्य बीमारियों हेतु 30,000/- एवं गंभीर बीमारियों हेतु 3 लाख तक केशलेस	चिकित्सालय में भर्ती होने वाले मरीज भामाशाह काउन्टर पर जाकर भामाशाह कार्ड नं0 से भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी होने की जानकारी प्राप्त कर सकते है।	इस चिकित्सालय के मुख्य ओपीडी, कार्डियोलोजी विभाग में एवं आपातकालीन विभाग में संचालित भामाशाह काउन्टर पर	भामाशाह कार्ड, मरीज का फोटो, पहचान पत्र, राशन कार्ड	भामाशाह काउन्टर	-

<p>राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011</p>	<p>इसके अन्तर्गत विकलांगों को विभिन्न कार्यों हेतु विकलांगता प्रमाण पत्र दिये जाते हैं।</p>	<p>14.11.2011</p>	<p>दिव्यांग आम जन</p>	<p>दिव्यांग आम जन</p>	<p>साधारण एवं रेल यात्रा, राजकीय सेवा हेतु, बस यात्रा एवं विकलांग वाहन भत्ता एवं नाक कान गला संबंधी विकलांगता प्रमाण पत्र</p>	<p>अवेदक मय पासपोर्ट फोटो , एक पहचान पत्र के साथ संबंधित विभाग को आवेदन किया जा सकता है।</p>	<p>संबंधित विभाग को।</p>	<p>राशन कार्ड तथा पासपोर्ट आकार के दो फोटो</p>	<p>संबंधित विभाग(अस्थि, नेत्र, ईएनटी,मानसिक)</p>	<p>—</p>
<p>जननी शिशु सुरक्षा योजना</p>	<p>मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के सहयोग से जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया जिसके अन्तर्गत सभी प्रसुताओं एवं नवजात शिशुओं (शिशु को 30 दिवस की उम्र तक) को सरकारी चिकित्सा संस्थाओं में सभी प्रकार की सेवाएँ निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।</p>	<p>01.06.2011</p>	<p>समस्त गर्भवती महिलायें एवं नवजात शिशु 30 दिवस तक</p>	<p>समस्त गर्भवती महिलायें एवं नवजात शिशु 30 दिवस तक</p>	<p>निःशुल्क इलाज, दवाईयां, अन्य आवश्यक सामग्री, जांच सुविधाएं, रक्त सुविधा, रैफरल ट्रांसपोर्ट,</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>शिशु विभाग</p>	<p>—</p>